


आर.मीनाक्षी सुन्दरम
आई.ए.एस.



"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्"

राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा (निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय)
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष 0135-2781941, 2781942, 2781943

Website: <http://ssa.uk.gov.in>, E-mail: spd-ssa-uk@nic.in

सेवा में

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

2- जिला परियोजना अधिकारी,
समग्र शिक्षा, प्रारम्भिक
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- रा.प.नि./ 1576 / RTE-Reimb.-Adm / 2019-20 दिनांक 9 दिसम्बर 2019
विषय:- शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में
निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है। इसी क्रम में जनसामान्य को अवगत कराये जाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में जनपद स्तर से विज्ञप्ति जारी की जानी है। जनपद प्रवेश हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तत्काल प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें-

1. शैक्षिक सत्र 2020-21 से 06 जनपदों क्रमशः अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनायी जायेगी तथा शेष जनपदों में पूर्व वर्षों की भाँति ऑफलाइन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
2. छात्र पंजीकरण- आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष माह दिसम्बर/जनवरी, 2019-2020 से प्रारम्भ की जायेगी। जिसमें विद्यालयों का पंजीकरण, छात्र प्रवेश फार्म, लाटरी एवं प्रपत्रों की जाँच आदि अप्रैल माह से पूर्व सम्पन्न की जायेगी। जिससे अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से प्रवेश प्रारम्भ किये जा सकें।
3. प्रवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन में परिवर्तन- आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व से प्रचलित क्रम यथा छात्र प्रवेश फार्म का आमन्त्रण → लाटरी → प्रपत्रों की जाँच → बच्चे का प्रवेश के क्रम को परिवर्तित करते हुए इस वर्ष ऑनलाइन/ऑफलाइन के अन्तर्गत छात्र प्रवेश फार्म का आमन्त्रण → प्रपत्रों की जाँच → लाटरी → बच्चे का प्रवेश के क्रम को अपनाते हुए सर्वप्रथम छात्र प्रवेश फार्म का आमन्त्रण एवं निर्धारित प्रपत्रों की भली-भाँति जाँच/सत्यापन करने के पश्चात् ऑनलाइन प्रक्रिया (जिन जनपदों में ऑनलाइन प्रक्रिया है) के अन्तर्गत आर0टी0ई0 पोर्टल पर भी सत्यापन करने के पश्चात् अर्ह अभ्यर्थियों हेतु लाटरी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। उसके बाद ही बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) दैनिक समाचार पत्रों में तत्काल विज्ञप्ति जारी करते हुए विज्ञप्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 12(1)(c) की उपधारा 2(d) तथा 2(e) में वर्णित बच्चों के माता-पिता को अपने वार्ड के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिए सूचित करें।
5. विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि आवेदन पत्र की एक-एक प्रति यथोचित प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को प्रेषित/उपलब्ध करायी जाय।
6. विज्ञप्ति में 2(d) तथा 2(e) श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना है तथा 2(d) हेतु शासनादेश संख्या- 1469/XXIV(1)/2010-45/2008 T.C. III दिनांक 08 अप्रैल 2011 तथा 2(e) हेतु शासनादेश संख्या- 625/XXIV(1)/2011-45/2008 T.C.4 दिनांक 11 मई 2011 में वर्णित प्राविधानों को अनिवार्यतः क्रियान्वित किया जाय।
7. जनपद द्वारा जारी सार्वजनिक विज्ञप्ति में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जाय।

8. विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर भी छात्र-छात्राओं हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध जाय।
9. विज्ञप्ति में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
10. विज्ञप्ति में विद्यालय हेतु पड़ोस (Neighbourhood) की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए जनसामान्य को अवगत कराया जाय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात् ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो) को इकाई समझा जायेगा अर्थात् जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित हो उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा। यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।
11. निजी विद्यालयों में जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मान्यता है के लिए प्रवेश हेतु बच्चों की जन्म तिथि 31 मार्च, 2020 को 03 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए तथा जो विद्यालय कक्षा 1 से संचालित हों में प्रवेश हेतु बच्चों की जन्म तिथि 31 मार्च, 2020 को 05 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए।
12. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारिणी भी विज्ञप्ति में प्रकाशित की जाय।
13. निजी विद्यालयों में प्रवेश, उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 तथा समय-समय पर उत्तराखण्ड शासन/विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
14. प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।
15. प्रवेश प्रक्रिया हेतु संलग्न समय-सारणी का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाय।

अतः उक्त के आलोक में उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल विज्ञप्ति जारी करना सुनिश्चित करें ताकि वर्ष 2020-21 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मार्च/अप्रैल माह तक की जा सके। जनपदों के सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित समय सारिणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उक्तवत्

पृ0सं0- रा.प.नि./ 1576 / RTE-Reimb. Adm / 2019-20

प्रतिलिपि:-1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

भवदीय

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।
तददिनांक।

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

**जनपद अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर
(ऑनलाइन प्रक्रिया) हेतु समय सारिणी**

कार्यक्रम हेतु रूपरेखा	अन्तिम तिथि
समाचार पत्रों में विज्ञापित जारी करने हेतु अन्तिम तिथि	20 दिसम्बर, 2019
ऑनलाइन पोर्टल में स्कूल रजिस्ट्रेशन	21 दिसम्बर, 2019 से 25 जनवरी, 2020 तक
छात्रों हेतु ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन	27 जनवरी, 2020 से 25 फरवरी, 2020 तक
छात्रों के प्रपत्रों की जाँच	26 फरवरी, 2020 से 15 मार्च, 2020 तक
विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया	20 मार्च, 2020
लॉटरी परिणाम उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा/पोर्टल पर लॉटरी परिणाम उपलब्ध कराने की तिथि	21 मार्च, 2020
विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया	22 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक
निजी विद्यालय द्वारा पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करना	30 अप्रैल, 2020 तक
प्रवेश प्रक्रिया हेतु द्वितीय लाटरी यदि आवश्यक हो तो	01 मई को प्रारम्भ

**शेष 07 जनपद (जहाँ पूर्व की भाँति ऑफलाइन प्रक्रिया अपनायी जानी है)
हेतु समय सारिणी**

कार्यक्रम हेतु रूपरेखा	अन्तिम तिथि
समाचार पत्रों में विज्ञापित जारी करने हेतु अन्तिम तिथि	10 जनवरी, 2020
प्रवेश सम्बन्धी आवेदन पत्रों का मुद्रण	15 जनवरी, 2020 से 22 जनवरी, 2020 तक
विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम तिथि	05 फरवरी, 2020
छात्रों हेतु आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि	25 फरवरी, 2020
विकासखण्ड स्तर पर आवेदन पत्रों की भली-भाँति जाँच	26 फरवरी, 2020 से 15 मार्च, 2020 तक
विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया	20 मार्च, 2020
लॉटरी परिणाम उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा	21 मार्च, 2020
विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया	22 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक
निजी विद्यालय द्वारा प्रवेशित बच्चों की सूची को सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना।	30 अप्रैल, 2020 तक
प्रवेश प्रक्रिया हेतु द्वितीय लाटरी यदि आवश्यक हो तो	01 मई को प्रारम्भ